

न्यायालय-द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, गोहद

(समक्ष :-पी0सी0आर्य)

वैवाहिक प्रकरण क्रमांक: 46/2014

संस्थापन दिनांक 11.12.2012

फाईलिंग नंबर-230303000252012__

जगदीशप्रसाद पुत्र रामदीन गौड़ आयु 35 साल

जाति गौड़ निवासी वार्ड नंबर-4 गोहद जिला

भिण्ड म0प्र0

.....आवेदक

वि रू द्ध

श्रीमती रेखा गौड़ पत्नी जगदीश गौड़ आयु 33 साल

निवासी वार्ड नंबर-4 गोहद हाल निवासी सती बाजार

वार्ड नंबर-15 गोहद जिला भिण्ड म0प्र0अनावेदिका

याचिका अन्तर्गत धारा-09 हिन्दू विवाह अधिनियम के तहत दाम्पत्य संबंधों के पुर्नस्थापना के अनुतोष हेतु

आवेदक द्वारा श्री राकेश गुप्ता अधिवक्ता

अनावेदिका द्वारा श्री प्रवीण गुप्ता अधिवक्ता

:: निर्णय ::

(आज दिनांक 11 जुलाई-2016 को खुले न्यायालय में घोषित)

1. आवेदक के द्वारा मूल आवेदनपत्र अंतर्गत धारा-09 हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 का इस न्यायालय द्वारा निराकरण किया जा रहा है, जिसमें उसने अनावेदिका के विरुद्ध दाम्पत्य अधिकारों की पुर्नस्थापना की आज्ञाप्ति चाही है।
2. प्रकरण में यह निर्विवादित तथ्य है कि अनावेदिका आवेदक की वैध विवाहिता पत्नी है तथा उनके संसर्ग से उन्हें दो संतानें पुत्री निकिता एवं पुत्र मनीष पैदा हुए हैं जो अनावेदिका के पास हैं। यह भी स्वीकृत है कि अनावेदिका वर्ष 2012 से आवेदक से पृथक रह रही है जिनका विवाह वर्ष 1998 में हुआ था। यह भी कहा है कि अनावेदिका द्वारा धारा-125 दप्रसं के तहत भरणपोषण का आवेदन जे0एम0एफ0सी0 न्यायालय गोहद में निरस्त हुआ है।
3. आवेदक का आवेदनपत्र सार संक्षेप में स्वीकृत तथ्यों के अलावा इस प्रकार है कि अनावेदिका विवाह उपरान्त ससुराल में अच्छी तरह रही और दो संतानें पैदा हुई हैं। उसके बाद आवेदन प्रस्तुति के करीब एक वर्ष पहले से अनावेदिका आवारागर्दी में घूमती रहती है और अपनी स्वेच्छया से बिना उसकी जानकारी व अनुमति के मायके कभी भी चली जाती है। अनेक बार उसे आवेदक और उसके माता पिता द्वारा इस बारे में समझाईश देने पर वह नहीं मानी। जबकि वह अनावेदिका और बच्चों का भरणपोषण परवरिश व पढाई लिखाई का पूरा ध्यान दैनिक मजदूरी करके रखता था। अनावेदिका को मायके वालों ने भी उसे समझा बुझाकर यह कहकर ससुराल भेजा था कि ससुरालवालों को परेशान क्यों करती हो। उसके बाद भी

अनावेदिका में कोई सुधार नहीं आया और अनावेदक 10-11 सितंबर-2012 में उसके व उसके माता पिता की अनुपस्थिति में और जब वह तथा उसके माता पिता गिराज जी की परिक्रमा के लिये गये थे तथा छोटा भाई मजदूरी के लिये गया था तब अनावेदिका ने अन्य लोगों से सांठगांठ करके लोडिंग गाड़ी बुलाकर उसके घर में रख घर गृहस्थी का सामान भरकर जेवर व दस हजार रुपये नगदी ले गई जिसमें उसके छोटे भाई की शादी में मिला सामान भी था। और मायके पहुंचने के बाद जब वह गये तो वह ससुराल न आकर सती बाजार गोहद में किराये के मकान में रहने लगी और षडयंत्र पूर्वक झूठी रिपोर्ट भी उसके व उसके माता पिता के खिलाफ कर दीं तथा पुत्र पुत्री को भी साथ ले गयी जिससे उनका भविष्य खराब हो रहा है। अनेक बार लिवाने के बावजूद जाने पर उसके न आने पर दाम्पत्य अधिकारों की पुर्नस्थापना की डिक्री का आवेदन प्रस्तुत कर इस आशय की सहायता भी चाही है कि अनावेदिका पुत्र पुत्री को साथ लेकर उसके साथ रहने आये तथा जो सामान व जेवर एवं नगदी रुपये ले गई है वह भी साथ लावे।

4. अनावेदिका की ओर से प्रस्तुत जबाब में स्वीकृत तथ्यों के अलावा अभिवचनों का खण्डन करते हुए यह लेख किया गया है कि आवेदक द्वारा उसे वैवाहिक जीवन का कोई सुख नहीं दिया गया है। आवेदक व उसके परिजनो के द्वारा दहेज की मांग को लेकर उसे अत्यधिक परेशान किया गया। ससुराल में आवेदक और उसके परिजन उसे परेशान व प्रताड़ित करते रहे, मारा पीटा और उसे पहने हुए कपड़ों में ही घर से निकाल दिया। उस पर आवारागर्दी से घूमने का झूठा लांछन दबाव बनाने के लिये लगाया जिससे वह मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित हुई। जबकि वह सीधी सादी पर्दानशीन स्त्री है और ससुराल वालों ने उसे अच्छे से नहीं रखा तथा उसके साथ बुरा बर्ताव किया। आवेदक और उसके पिता शराब पीने के आदी हैं तथा शराब पीकर उसे भला बुरा कहकर मारपीट करते थे तथा उससे पचास हजार रुपये और मोटरसाईकिल दहेज में लाने की मांग करते रहे जिसका बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ा। जबकि आवेदक फर्नीचर का थोक व फुटकर का कारोबार करके बीस हजार रुपये महीना कमाता है। उसे और उसके बच्चों को पहने हुए कपड़ों में घर से बाहर निकालने के बाद उसके माता पिता द्वारा समझाने पर वह दिनांक 15.08.12 को आवेदक के घर रहने गई। किन्तु उसके बाद भी उसे मारा पीटा और घर से निकाल दिया जिसकी थाने में रिपोर्ट की गई थी। उसने आत्महत्या की कभी धमकी नहीं दी। न ही वह आवेदक के घर से 10-11 सितंबर-2012 को दो लोडिंग गाडियों से घर गृहस्थी का सामान, जेवर, रुपये आदि लेकर आई बल्कि वह मजबूरी में किराये का कमरा लेकर गरीबी स्तर में अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही है। आवेदक ने झूठे आधारों पर डिक्री चाही है जो सव्यय निरस्त की जावे।

5. उभयपक्षों के अभिवचनों के आधार पर मेरे द्वारा निम्नलिखित विवाधक निर्मित किये गये जिनके संबंध में लिये गये निष्कर्ष उनके समक्ष संक्षेप में अंकित किये जा रहे हैं:-

क्रमांक	विवाधक	निष्कर्ष
1.	क्या अनावेदिका द्वारा वगैर युक्तियुक्त हेतुक के दाम्पत्य संबंधों का आवेदक के साथ रहकर निर्वहन करने से इन्कार किया है, यदि हाँ तो प्रभाव-	

2.	क्या आवेदक अनावेदक के विरुद्ध दाम्पत्य अधिकारों का पुनर्स्थापन करा पाने का वैधानिक अधिकारी है?	
3.	अन्य सहायता एवं व्यय?	

--सकारण निष्कर्ष--

--विवाधक क्रमांक-01 --

6. प्रकरण में मौखिक साक्ष्य में आवेदक एवं अनावेदिका ने स्वयं के कथन कराये हैं तथा आवेदक ने अनावेदक के धारा-125 दप्रसं के तहत निरस्त हुए भरणपोषण के आवेदन पत्र के आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र0ए-1 के रूप में पेश की है जो कि स्वीकृत तथ्य है। मूलतः प्रकरण में यह देखा जाना है कि क्या अनावेदिका के द्वारा आवेदक का घर बिना किसी युक्तियुक्त हेतुक के छोड़ा जाकर आवेदक का परित्याग किया है या नहीं। इस संबंध में आवेदक जगदीश प्रसाद आ0सा0-1 ने मुख्य परीक्षण के अभिसाक्ष्य में आवेदन पत्र के अभिवचनों के अनुरूप साक्ष्य देते हुए यह कहा है कि अनावेदिका स्वतंत्र रूप से अलग रहकर पत्नी धर्म का पालन नहीं कर रही है। जबकि वह अनावेदिका और अपने बच्चों को अपने साथ रखने को हमेशा तत्पर और तैयार है तथा अनावेदिका बच्चों को भी भेजने से इन्कार कर रही है और घर गृहस्थी का सामान जेवर, रुपये आदि लेकर बिना बताये चली गई है जिससे अनावेदिका की ओर से दी गई मौखिक साक्ष्य में इन्कार किया गया है तथा आवेदक से की गई प्रतिपरीक्षा में भी सुझाव देकर आवेदक के अभिवचनों और साक्ष्य का खण्डन किया है। आवेदक ने इस बात से इन्कार किया है कि उसने या उसके परिवार वालों ने अनावेदिका की दहेज में लेकर या अन्य किसी कारण से कभी मारपीट की तथा पचास हजार रुपये व मोटरसाईकिल दहेज में मांगे बल्कि उसका यह कहना है कि अनावेदिका ने उसके विरुद्ध थाना गोहद में रिपोर्ट अवश्य की थी। उसका यह भी कहना रहा है कि वह फर्नीचर का काम फुटकर में मजदूरी के रूप में करता है तथा उसने यह भी बताया है कि वह अनावेदिका को लिवाने के लिये गया था तो आवेदक ने उसकी मारपीट कर उसे भगा दिया।
7. अनावेदिका की ओर से दी गई मौखिक साक्ष्य में जवाब अनुरूप मुख्य परीक्षण की साक्ष्य दी है। प्रतिपरीक्षा में उसने आवेदक के साथ न रहने का कारण मूलतः यह बताया है कि आवेदक की माँ अर्थात् उसकी सास के उसके फूफा बाबूलाल से अवैध संबंध हैं जिसने आवेदक से उसका रिश्ता पैसा लेकर करा दिया था तथा आवेदक के घर अनेक लोग आते हैं। शराब पीते हैं, झगडा फसाद व हंगामा करते हैं जिसकी वजह से उसका आवेदक के साथ रहने की युक्तियुक्त परिस्थितियाँ नहीं हैं तथा उसके बच्चों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड रहा था। इसलिये वह बच्चों को लेकर पहने हुए कपड़ों में आवेदक द्वारा मारपीट कर भगा देने पर गोहद में किराये से रह रही है और बच्चों को पढा रही है। उसका खर्च उसके भाई व पिता उठाते हैं। आवेदक की ओर से दिये गये आवारागर्दी के सुझाव को उसने मूलतः इन्कार किया है।
8. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने तर्कों में मूलतः यही व्यक्त किया गया है कि अनावेदिका स्वच्छंद विचारों की महिला है और वह स्वतंत्र रूप से विचरण करने की आदी है। शुरु में वह कुछ समय ससुराल में ठीक रही थी उसके

बाद वह बिना कुछ कहे मायके व अन्य जगह चली जाती थी। समझाइश देने पर भी वह नहीं मानती थी। अनेक बार मायके वालों को भी इस बारे में उलाहना देने पर उन्होंने भी अनावेदिका को डांट फटकार करके ससुराल भेजा था। आवेदक और अनावेदक के दो बच्चे हैं जिनका भविष्य पिता के वगैर अंधकारमय हो रहा है। इस कारण वह अनावेदिका की गलतियों को अनदेखा कर उसे साथ रखने को उत्सुक व तैयार है। अनेक बार साथ लाने के प्रयास भी किये गये। अनावेदक ने साफ तौर पर आने से इन्कार किया है और वह राजू खॉ नामक व्यक्ति के पास रह रही है जिससे बच्चों का भविष्य और पढ़ाई लिखाई बर्बाद हो रही है। इसलिये अनावेदिका को आवेदक के साथ बतौर पत्नी दाम्पत्य जीवन व्यतीत करने हेतु आदेशित करते हुए डिक्री प्रदान की जावे।

9. इस संबंध में अनावेदिका के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने तर्कों में मूलतः आवेदक अधिवक्ता के तर्कों का खण्डन करते हुए यह व्यक्त किया है कि अनावेदिका पर्दानशीन सीधी सादी महिला है और आवेदक व उसके परिवार का वातावरण अच्छा नहीं है। अनेक आपत्तिजनक लोग घर आकर शराब पीकर हंगामा करते हैं तथा अनावेदिका पर उसके चरित्र को लेकर गंभीर व काल्पनिक और मन गढ़न्त आक्षेप लगाये गये हैं जो प्रथम रहने के लिये पर्याप्त कारण हैं। अनावेदिका अपनी मर्जी से ससुराल छोड़कर नहीं आई है। आवेदक और उसके परिजनों के द्वारा आये दिन शराब पीकर मारपीट कर परेशान करने और दहेज मांगने से परेशान होकर वह अलग रहने को मजबूर है जिसे आवेदक ने पहने हुए कपड़ों में ही बच्चों के सहित घर से निकाल दिया था जो गोहद में रहकर बच्चों को पढ़ा रही है। उसके भाई व पिता उसकी आर्थिक मदद कर रहे हैं और आवेदक के व्यवहार में कोई अंतर नहीं आया है इसलिये अनावेदिका को आवेदक पर विश्वास नहीं रहा है। इस कारण वह साथ रहने में असमर्थ है तथा झूठे आधारों पर आवेदन किया है इसलिये कोई डिक्री दाम्पत्य अधिकारों के पुर्नस्थापन बाबत प्रदत्त नहीं की जा सकती है। इसलिये आवेदन सव्यय निरस्त किया जावे।

10. प्रकरण में उभयपक्ष की जो साक्ष्य आई है उससे यह तो भली भांति स्थापित है कि आवेदक से अनावेदिका वर्ष 2012 से पृथक रह रही है। दोनों बच्चे जो कि अभी भी अवयस्क हैं, अनावेदिका के पास ही रह रहे हैं। अनावेदिका ने उन्हें गणेश कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाना कहा है जिसका खण्डन नहीं है। आवेदक की ओर से अवयस्क बच्चों की संरक्षकता बाबत कोई वैधानिक कार्यवाही की जाना नहीं बताया गया है तथा आवेदक ने इस बात की स्वीकारोक्ति अपने अभिसाक्ष्य में की है कि अनावेदिका ने उसके विरुद्ध थाना गोहद में रिपोर्ट की थी। आवेदक का भी ऐसा ही कहना है कि जब आवेदक और उसके परिजनों ने शराब पीकर मारापीटा था और घर से निकाला था तो उसने थाना गोहद में रिपोर्ट की थी और आवेदक तीन दिन थाने में बंद भी रहा था। ऐसे में अनावेदिका द्वारा बताई गई लिखित रिपोर्ट की प्रति पेश न होने से उसका कोई प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। अनावेदिका आवेदक के घर से दो लोडिंग गाड़ियों में भरकर घर गृहस्थी का पूरा सामान शादी में मिला सामान व आवेदक के छोटे भाई की शादी में मिला सामान, जेवर व दस हजार रुपये लेकर गई थी। इस संबंध में भी कोई अन्य साक्षी पेश नहीं किया गया है जिसने ले जाते हुए देखा हो और लोडिंग गाड़ी किसकी थी, कौन लेकर गया, इस बारे में न तो कोई स्पष्ट अभिवचन हैं न ही साक्ष्य है और न ही किसी साक्षी को पेश किया गया है बल्कि आवेदक ने 10-11 सितंबर-2012 की घटना अवश्य बताई है। किन्तु यह स्पष्ट नहीं

किया है कि अनावेदिका सामान भरकर दिन में गई या रात में गई। न ही माता पिता में से किसी का कथन कराया है जिनके साथ गिराज जी की परिक्रमा को जाना बताया है न ही छोटे भाई का कथन कराया है जिसका सामान भरतेसमय ले जाते समय मजदूरी करने बाहर जाना बताया गया है। ऐसे में आवेदक के अभिवचन व साक्ष्य अत्यंत निर्बल स्वरूप की है। जहाँ तक अनावेदिका द्वारा दहेज की मांग का आक्षेप किया गया है, उसके संबंध में भी कोई प्रमाण या पुलिस रिपोर्ट की जाना प्रकट नहीं होता है। मूलतः घर में रहने के वातावरण को पृथक रहने का कारण बताया जा रहा है।

11. आवेदक का अनावेदिका पर चारित्रिक लांछन आवारागर्दी का जो लांछन लगाया गया है उसका भी कोई प्रमाण नहीं है। यदि अनावेदिका के द्वारा विवाहित होते हुए बिना विवाह के विच्छेद के किसी अन्य पुरुष के साथ रहना जिस प्रकार से बताया गया है उसके बाबत भी सुदृढ़ आधार नहीं है क्योंकि धारा-494 भादवि के तहत आवेदक द्वारा जारतापूर्ण जीवन व्यतीत करने के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इस तरह का लांछन लगाना पृथक रहनेका पर्याप्त कारण माना जा सकता है। यदि अनावेदिका का आचरण स्च्छंद स्त्री का होता तो वह बच्चों को साथ न ले जाती जबकि वह बच्चों को भी अपने साथ रखे हुए हैं और उन्हें विद्या अध्ययन करा रही है। ऐसे में आवेदक के आधार निर्बल हो जाते हैं और जारतापूर्ण जीवन व्यतीत करने के आधार विवाह विच्छेद का तो हो सकता है किन्तु दाम्पत्य अधिकारों की पुर्नस्थापना के आवेदन में इस तरह का आक्षेप विधिसम्मत नहीं माना जा सकता है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि स्वीकृत तौर पर दोनों पक्षों का विवाह सन् 1998 में हुआ, उनकी दो संतानें भी हैं। जो वर्तमान में पुत्री 12-13 वर्ष की एवं पुत्र 10 वर्ष का हो चुका है। ऐसी स्थिति में यदि अनावेदिका का स्वेच्छयाचारिणी स्त्री के रूप में अलग रहने का उद्देश्य कोई होता तो वह विवाह के प्रारंभिक अवस्था में ही आवेदक का परित्याग करती। ऐसी स्थिति में जिन आधारों पर दाम्पत्य अधिकारों की पुर्नस्थापना का सहायता चाही गई है वह वैधानिक रूप से कतई प्रमाणित व स्थापित नहीं होती है। इसलिये इस न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि अनावेदिका आवेदक से युक्तियुक्त हेतुक के पृथक रह रही है। फलतः वाद प्रश्न क्रमांक-1 को आवेदक के विरुद्ध निर्णीत कर अप्रमाणित ठहराया जाता है जिसका यह प्रभाव होगा कि आवेदक दाम्पत्य अधिकारों की पुर्नस्थापना करा पाने का पात्र नहीं है।

विवाधक क्रमांक-2 व 3 का निराकरण

12. उपरोक्त दोनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण साक्ष्य की पुनरावृत्ति से बचने के लिये एवं सुविधा की दृष्टि से एकसाथ किया जा रहा है।
13. वाद प्रश्न क्रमांक-1 के विश्लेषण में यह निष्कर्षित किया जा चुका है कि आवेदक अनावेदिका से दाम्पत्य संबंधों के पुर्नस्थापना की सहायता प्राप्त नहीं कर सकता है। क्योंकि उसके पास कोई युक्तियुक्त आधार नहीं हैं। बल्कि उसके द्वारा चारित्रिक हनन के गंभीर आक्षेप किये गये हैं। इसलिये वाद प्रश्न क्रमांक-2 भी आवेदक के विरुद्ध निर्णीत करते हुए मूल आवेदन पत्र अंतर्गत धारा-9 हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 को वाद विचार सद्भावी व स्वीकार योग्य न होने से निरस्त किया जाता है।
14. प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए तथा अनावेदिका को भरणपोषण भी

प्राप्त न होने से प्रकरण व्यय उभयपक्ष अपना अपना वहन करेंगे, यह निष्कर्षित किया जाता है।

15. अतः उपरोक्तानुसार आवेदन निरस्ती की डिक्री तैयार की जावे।

दिनांक: 11 जुलाई 2016

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(पी0सी0आर्य)

द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश
गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)

(पी0सी0आर्य)

द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश
गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)